संख्या-61 /2022/I/175035/2022 /001-71-2099-514-2020

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 07 जून, 2022

विषयः- डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक भवन में तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रयोगशाला हेतु लैब फर्नीचर के क्रय/आपूर्ति स्थापना के कार्यो पर जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-616/डा0रा0म0लो0आ0सं0/सि0/2022, दिनांक 18 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संस्थान के निर्माणाधीन एकेडमिक ब्लाक भवन में तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रयोगशाला की लैब हेतु फर्नीचर की क्रय/आपूर्ति स्थापना के कार्यो पर जमा की गयी जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 4069422.29 लाख की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान परिसर में एकेडमिक ब्लाक भवन में तृतीय एवं चतुर्थ तल पर प्रयोगशाला के लैब हेतु फर्नीचर क्रय/आपूर्ति स्थापना हेतु अनुमोदित लागत रू0 418.19 लाख, में से धनराशि रू0 271.55 लाख पर वास्तविकता के आधार पर कार्यदायी संस्था द्वारा जमा की गयी जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद-24 वृहद् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 40.70 लाख (चालीस लाख सत्तर हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

1. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
2. निदेशक/वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा जी0एस0टी0 के नियमों के अधीन धनराशि का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 मद में वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को कोई रिफण्ड प्राप्त् नहीं हुआ है तथा प्रश्नगत प्रायोजना के अंतर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जी0एस0टी0 की धनराशि जमा/भुगतान करने के पश्चात् प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया गया है।

3-इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,70,000 (रुपये चालीस लाख सत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050400 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर , लखनऊ **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक- 30 दिसंबर, 2021 एवं वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के शासनादेश संख्या: 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक- 29 मार्च 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-61 /2022/I/175035/2022 /001-71-2099-514-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रबंध निदेशक उ० प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०,गोमती नगर, लखनऊ |
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
7. वित्त अधिकारी, डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।